कार्यालय महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः– प.11(02)प्रशि / पॉलिसी / 2020 / पार्ट–1 / 3572 दिनांकः– 5/5/2021

स्थाई आदेश संख्या– 16 / 2021

स्थाई आदेश संख्या–01 / 2010 दिनांक 04.03.2010 द्वारा राजस्थान सशस्त्रदल एवं मेवाड़ भील कोर के सीधी भर्ती से नव नियुक्त प्लाटून कमाण्डर के लिए जारी किए गए प्रारम्भिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के अधिक्रमण में नवीन प्रारम्भिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम हेतु निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं :–

1. सीधी भर्ती से नियुक्त होने वाले समस्त उप निरीक्षक / प्लाटून कमाण्डर स्थाई आदेश संख्या 14 / 2021 दिनांक 26.04.2021 द्वारा जारी 09 सप्ताह अवधि का आधारभूत (Foundation) कोर्स करेंगे।
2. उक्त आधारभूत (Foundation) कोर्स के पश्चात सीधी भर्ती के समस्त प्लाटून कमाण्डर (आरएसी / एमबीसी) संलग्न पाठ्यक्रम के अनुसार 35 सप्ताह (245 दिन) अवधि का प्रारम्भिक प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे।

संलग्नः– प्रशिक्षण पाठ्यक्रम।

5/5/21

(एम. एल. लाठर)
महानिदेशक पुलिस,
राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. समस्त अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।
3. पुलिस आयुक्त, जयपुर / जोधपुर।
4. समस्त रेंज महानिरीक्षक पुलिस, राजस्थान।
5. उप महानिरीक्षक पुलिस, राजस्थान पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, जोधपुर।
6. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक, राजस्थान मय जीआरपी, अजमेर / जोधपुर।
7. समस्त पुलिस उपायुक्त, जयपुर / जोधपुर।
8. प्रधानाचार्य, राजस्थान पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, किशनगढ।
9. समस्त कमाण्डेंट, आर्म्ड बटालियन्स।
10. कमाण्डेंट, पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, जोधपुर / खैरवाड़ा / झालावाड़ / अलवर / भरतपुर / बीकानेर / पीएमडीएस, बीकानेर / पीसीटीएस, जोधपुर।

अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस,
प्रशिक्षण, राजस्थान, जयपुर।

सीधी भर्ती प्लाटून कमाण्डर (आर.ए.सी. / एम.बी.सी.)
प्रारम्भिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम
प्रशिक्षण अवधि

1.	प्रशिक्षण अवधि	245 दिवस
2.	राजपत्रित अवकाश	53 दिवस
3.	त्रैमासिक परीक्षा एवं मध्यावधि परीक्षा	08 दिवस
4.	मध्यावधि अवकाश	06 दिवस
5.	जंगल कैम्प (केवल आउटडोर विषय का अध्यापन होगा)	08 दिवस
6.	अन्तिम परीक्षा एवं दीक्षान्त परेड अभ्यास	15 दिवस
7.	प्रशिक्षण हेतु उपलब्ध दिवस	155 दिवस
8.	इंडोर प्रशिक्षण हेतु कुल कालांश	775 कालांश
09.	आउटडोर प्रशिक्षण हेतु कुल कालांश	886 कालांश
10.	कुल कालांश (इंडोर एवं आउटडोर)	1661

इंडोर कालांश एवं अंक विभाजन

प्रश्न–पत्र		पाठ्यक्रम				
		कालांश	पूर्णांक		उत्तीर्णांक 50%	प्रतिभाशाली प्रशिक्षु 80%
प्रथम	सामान्य कानून	180	200		100	160
द्वितीय	भारतीय संविधान, पुलिस संगठन एवं प्रशासन	50	100		50	80
तृतीय	पुलिस कार्य प्रणाली, एवं आन्तरिक सुरक्षा	140	150		75	120
चतुर्थ	मानव व्यवहार, नैतिकता एवं पुलिस छवि	55	100		50	80
पंचम	राजस्थान सशस्त्र दल एवं इसकी कार्यप्रणाली	70	150		75	120
षष्टम	Computer and Information Technology • कम्प्यूटर प्रशिक्षण	100	100	50 Theory	25	40
	• टाईपिंग (Practical training of Computer)	100		50 Practical	25	40
सप्तम	आर.ए.सी. में नेतृत्व एवं प्रबन्धन का विशेष प्रशिक्षण	60	100		50	80
अष्टम	लेखा, वित्तीय नियम तथा रिकॉर्ड संधारण	20	50		25	40
प्रधानाचार्य द्वारा इंडोर प्रशिक्षण प्रभारी के साथ कार्य मूल्यांकन		—	50		25	40
कुल योग		**775**	**1000**		**500**	**800**

आउटडोर कालांश एवं अंक विभाजन

प्रश्न–पत्र		पाठ्यक्रम			
		कालांश	पूर्णांक	उत्तीर्णांक 50%	प्रतिभाशाली प्रशिक्षु 80%
प्रथम	शारीरिक प्रशिक्षण व यू0ए0सी0	155	200	100	160
द्वितीय	कवायद प्रशिक्षण	108	200	100	160
तृतीय	हथियार प्रशिक्षण, मेन्टीनेंस एवं मस्केट्री, सिमुलेटर प्रेक्टिस	165	250	125	200
चतुर्थ	पुलिस विषय एवं आपदा प्रबन्धन	**40**	100	50	80
पंचम	फिल्ड क्राफ्ट व टेक्टिस	35	100	50	80
षष्टम	भीड़ नियत्रंण, भीड़ प्रबन्धन एवं बलवा नियंत्रण	**30**	70	35	56
सप्तम	विस्फोटक एवं बम्ब डिस्पोजल	20	50	25	40
अष्टम	आरएसी में नेतृत्व एवं प्रबन्धन का विशेष प्रशिक्षण	80	50	25	40
नवमं (क्वालीफाईग)	मोटर साईकिल, हल्का वाहन का चालन, संचालन एवं प्रबंधन	50	0	–	–
दसवां (क्वालीफाईग)	तैराकी	35	0	–	–
ग्यारवां (क्वालीफाईग)	घुडसवारी	35	0	–	–
	खेल	133	–	–	–
	प्रधानाचार्यद्वारा आउटडोर प्रशिक्षण प्रभारी के साथ कार्य मूल्यांकन	00	30	15	24
आउटडोर	**कुल योग**	**886**	**1050**	**525**	**840**
आउटडोर व इंडोर सहित	**कुल योग**	**1661**	**2050**	**1025**	**1640**

खण्ड 1 :– इंडोर विषय

प्रश्न–पत्र	विषय	पाठ्यक्रम	
		कालांश	अंक
प्रथम	**सामान्य कानून**	**180**	**200**
भाग–I	भारतीय दण्ड संहिता, 1860	60	60
भाग–II	दण्ड प्रक्रिया संहिता	30	40
भाग–III	भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872	20	30
भाग–IV	केन्द्रीय अधिनियम	50	40
भाग–V	राजस्थान के अधिनियम तथा नियम	20	30
द्वितीय	**भारतीय संविधान, पुलिस संगठन एवं प्रशासन**	**50**	**100**
भाग–I	भारतीय संविधान	10	20
भाग–II	राजस्थान पुलिस : संगठन तथा कार्य	05	20
भाग–III	विभिन्न आयोग	15	20
भाग–IV	विविध	20	40
तृतीय	**पुलिस कार्य प्रणाली एवं आन्तरिक सुरक्षा**	**140**	**150**
भाग–I	पुलिस कार्यालय, पुलिस थाना तथा पुलिस लाईन्स	20	20
भाग– II	राजस्थान पुलिस नियम, विनियम तथा कानून व्यवस्था	20	20
भाग– III	आंतरिक सुरक्षा व इंटेलीजेंस	30	30
भाग– IV	चुनाव व्यवस्था तथा पुलिस दायित्व	25	30
भाग– V	आपदा प्रबंधन तथा पुलिस दायित्व	20	20
भाग– VI	अनुसंधान के वैज्ञानिक तरीके	25	30
चतुर्थ	**मानव व्यवहार, नैतिकता एवं पुलिस छवि**	**55**	**100**
भाग–I	मानव व्यवहार	30	40
भाग–II	अन्तर्व्यक्तित्व कौशल तथा प्रबंधन	05	30
भाग–IV	पर्यावरण संरक्षण तथा स्वास्थ्य	20	30
पंचम	**राजस्थान सशस्त्र दल एवं इसकी कार्यप्रणाली**	**70**	**150**
भाग–I	अधिनियम एवं नियम	25	40
भाग–II	संगठन एवं कार्य	15	30
भाग–III	वर्गीकरण एवं विभाजन	15	30
भाग–IV	एस्कॉर्ट ड्यूटी	10	30
भाग–V	CAPF एवं RACका तुलनात्मक अध्ययन	05	20
षष्टम	**कम्प्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी**	**200**	**100**
सप्तम	**आरएसी में नेतृत्व एवं प्रबन्धन का विशेष प्रशिक्षण**	**60**	**100**
अष्टम	**लेखा, वित्तीय नियम तथा रिकॉर्ड संधारण**	**20**	**50**
भाग–I	राजकीय वित्तीय प्रबंधन एवं नियंत्रण की सामान्य प्रणाली	07	20
भाग–II	वेतन एवं भत्ते	08	20
भाग–III	व्यक्तिगत वित्त प्रबंधन एवं कल्याणकारी योजनाएं	05	10
प्रधानाचार्य द्वारा इंडोर प्रशिक्षण प्रभारी के साथ कार्य मूल्यांकन – पुस्तकालय का उपयोग, कार्य में पहल, सीखने में उत्सुकता, व्यावहारिक कार्य में उत्कृष्टता एवं अनुशासन के आधार पर		–	**50**
	योग :–	**775**	**1000**

खण्ड 2 पाठ्यक्रम :– आउटडोर विषय

प्रश्न पत्र	विषय	पाठ्यक्रम	
		कालांश	अंक
I	शारीरिक प्रशिक्षण व यू0ए0सी0	155	200
II	कवायद प्रशिक्षण	108	200
III	हथियार प्रशिक्षण, मेन्टीनेंस एवं मस्केट्री, सिमुलेटर प्रेक्टिस	165	250
IV	पुलिस विषय एवं आपदा प्रबन्धन	40	100
V	फिल्ड क्राफ्ट व टेक्टिस	35	100
VI	भीड़ नियन्त्रण, भीड़ प्रबन्धन एवं बलवा नियंत्रण	30	70
VII	विस्फोटक एवं बम्ब डिस्पोजल	20	50
VIII	आरएसी में नेतृत्व एवं प्रबन्धन का विशेष प्रशिक्षण	80	50
IX	मोटर साईकिल, हल्का वाहन का चालन, संचालन एवं प्रबंधन (क्वालीफाईग)	50	0
X	तैराकी (क्वालीफाईग)	35	0
XI	घुडसवारी (क्वालीफाईग)	35	0
	खेल	133	–
	जगंल कैम्प: जंगल प्रवास, सहिष्णुता, जहरीले जानवरों से बचाव, रूट मार्च, रात्रिकाल में दिशा और नक्षत्र ज्ञान, वनस्पति का ज्ञान, पशु और पक्षी की पहचान, आवाज का ज्ञान, नक्शे पर स्थान की पहचान और ढूँढना, मुठभेड़ का अभ्यास, गिरिजन संस्कृति परिचय, हथियार और सामान सहित लंबी दूरी का मार्च, नदी नाले और पहाड़ी क्षेत्र पार करना, घात लगाना और बचाव, दस्यु विरोधी अभियान की सिखलाई।	12 दिन एक भाग में	–
	प्रधानाचार्यद्वारा आउटडोर प्रशिक्षण प्रभारी के साथ कार्य मूल्यांकन–कार्य में रूचि, अनुशासन, टर्न आउट, कार्यसम्पादन में उत्कृष्टता और पहल, सह प्रशिक्षुगण से व्यवहार	–	30
	योग	**886**	**1050**

राजस्थान सशस्त्र दल/मेवाड़ भील कोर, प्लाटून कमाण्डर/उप निरीक्षक प्रारम्भिक पाठयक्रम : इंडोर विषय

प्रश्न पत्र – प्रथम (सामान्य विधि)

कालांश–180 अंक–200

पाठ्यक्रम	कालांश	अंक
भाग–I, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 1. अध्याय 2 साधारण स्पष्टीकरण : धारा–14,21,23,24,25,30,33,34, 40,41,42,52,52ए 2. अध्याय 4 साधारण अपवाद : धारा – 76 से 106 तक 3. अध्याय 5 दुष्प्रेरण : धारा – 107,108,109,114 4. अध्याय 5ए आपराधिक षड़यंत्र : धारा – 120ए, 120बी, 5. अध्याय 6 राज्य के विरूद्ध अपराधों के विषय में : धारा 121, 121ए, 124ए 6. अध्याय 8 लोक प्रशांति के विरूद्ध अपराध : धारा – 141 से 153 तक, 153ए, 153एए, 153बी, 159, 160 7. *अध्याय 9 लोक सेवकों द्वारा अपराध : धारा 166 से 171 तक, 8. अध्याय 9ए निर्वाचन संबंधी अपराधों के विषय में : धारा 171सी, 171डी, 171 एफ, 9. अध्याय 10 लोक सेवक को मिथ्या सूचना व उसके कार्यों में बाधा : धारा – 182, 186, 188 10. *अध्याय 11 अपराध के साक्ष्य का विलोपन, लोकसेवक द्वारा कैदी के प्रति उपेक्षा : धारा – 201, 221 से 225, 225ए, 225बी 11. अध्याय 14 लोक मार्ग पर लापरवाही से वाहन चलाना व रास्ता अवरूद्ध : धारा 279, 283 12. *अध्याय 15 धर्म से संबंधित अपराध : धारा 295,295ए,298 13. अध्याय 16 मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराध • आपराधिक मानव वध तथा हत्या : धारा – 299 से 309 तक, • चोट तथा गंभीर चोट : धारा –319 से 338 तक, • सदोष अवरोध व परिरोध : धारा – 339 से 342 तक, • आपराधिक बल व हमला : धारा– 353,354,354ए, 354बी,354सी, 354डी • व्यपहरण व अपहरण : धारा 363 से 366, 366ए, 366बी, • बलात्कार तथा प्रकृति विरूद्ध यौन अपराध : धारा – 375, 376, 376ए, 376बी, 376सी, 376डी, 376ई, 377 14. अध्याय 17 सम्पति विरूद्ध अपराध • चोरी : धारा – 378 से 382 तक, • उद्दापन : धारा – 383, 384, • लूट : धारा – 390,392,393,394, • डकैती : धारा –391,395, 396, 399,401,402, • आपराधिक न्यास भंग : धारा – 405,406,409 • छल : धारा – 415,417, 420, • आपराधिक अतिचार, गृह अतिचार, प्रच्छन्न गृह अतिचार, गृह भेदन : धारा – 441 से 448 तक, 451,452,454, 457,460, 15. अध्याय 20ए पति या पति के नातेदार द्वारा पत्नी के प्रति क्रूरता : धारा –498ए, 16. अध्याय 22 आपराधिक अभित्रास, अपमान तथा क्षोभ : धारा – 504,509,510 17. अध्याय 23 अपराधों का प्रयास : धारा – 511	60	60

पाठ्यक्रम	कालांश	अंक
भाग II– दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 1. अध्याय 1 परिभाषा : जमानतीय अपराध, संज्ञेय अपराध, अन्वेषण तथा असंज्ञेय अपराध, पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी : धारा –2(a),(c),(h),(l),(o) 2. अध्याय 4 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियाँ, मजिस्ट्रेट तथा पुलिस की सहायता : धारा – 36, 37 3. अध्याय 5 व्यक्तियों की गिरफ्तारी : धारा – 41से 43, 46 से 58, 60 4. अध्याय 6 उपस्थित होने को विवश करने के लिए आदेशिकाएं – सम्मन का प्रारूप तथा तामील, वारण्ट का प्रारूप, उद्घोषणा तथा कुर्की : धारा – 61,62,64,70,76,82, 83 5. अध्याय 7 चीजें पेश करने को विवश करने के लिए आदेशिकाएं – सम्मन, बंद स्थान की तलाशी, सम्पति का अधिग्रहण : धारा – 91, 100, 102 6. अध्याय 8 परिशांति कायम रखने एवं सदाचार के लिए प्रतिभूति : धारा –107, 108, 109, 110, 116, 117, 122, 7. अध्याय 9 पत्नी, संतान और माता–पिता के भरण–पोषण के लिए आदेश : धारा– 125 8. अध्याय 10 लोक व्यवस्था एवं शांति बनाएं रखना : धारा – 129 से 133, 144, 144ए, 145 9. अध्याय 11 पुलिस का निवारक कार्य : धारा –151 10. अध्याय 12 पुलिस को इतिला तथा अन्वेषण की शक्तियां – प्रथम सूचना रिपोर्ट, अभियुक्त की पुलिस तथा न्यायिक अभिरक्षा की अवधि, केश डायरी, अंतिम परिणाम तथा मृत्यु संबंधी जांच : धारा – 154 से 176	30	40
भाग III– भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 1. अध्याय 1 परिभाषाः न्यायालय, तथ्य, सुसंगत तथ्य, विवाद्यक तथ्य, दस्तावेज, साक्ष्य, उपधारणा तथा निश्चयात्मक साक्ष्य : धारा – 3, 4 2. अध्याय 2 संस्वीकृति, मृत्युकालिक घोषणा, विशेषज्ञों को राय : धारा – 24 से 27, 32(1), 45 3. अध्याय 4 मौखिक साक्ष्य : धारा – 59, 60 4. अध्याय 5 दस्तावेजी साक्ष्य प्राथमिक तथा द्वितीयक साक्ष्य : धारा – 61 से 63, 74 से 76 5. अध्याय 7 साक्ष्य का भारः धारा – 101, 102, 113ए, 113बी, 6. अध्याय 10 साक्षियों की परीक्षा : धारा – 137, 138, 141, 145, 159	20	30
भाग IV– केन्द्रीय विशेष अधिनियम 1. मोटर वाहन अधिनियम, 1988 धारा – 3,4,39,66,112,181, 183,184,185,192,192ए, 202, 206,207 2. राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 71 धारा – 2, 3 3. आयुध अधिनियम, 1959 धारा – 3,4,17,19 से 21 तक, 25, 30 4. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 धारा – 3, 4, 8, 14 (नवीनतम संशोधन सहित) 5. मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 धारा – 2(क), 3 से 6 तक, 12, 20 से 24 तक, 28, 30 6. लोक सम्पति हानि निवारण अधिनियम, 1984 धारा – 2(ए),3,4,5 7. स्वापक द्रव्य एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 धारा – 15 से 18 तक, 20, 21, 25, 27, 29, 41, 42, 43, 50, 55, 57, 59, 68ए 8. भारतीय वन अधिनियम, 1927 धारा – 62, 63, 64 9. भारतीय विस्फोटक अधिनियम, 1884 धारा – 4 से 6 तक 10. विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 धारा – 2, 4 से 6 तक 11. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 धारा – 7 से 13, 19 12. पासपोर्ट अधिनियम, 1967 धारा – 2, 12 से 14 तक 13. किशोर न्याय (बालकों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015, धारा – 2, 4, 8, 9, 13, 21, 22, 23 से 26 तक, 29, 34, 37, 74, 75,76,94, 107	50	40

पाठ्यक्रम	कालांश	अंक
14. घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 धारा – 3 से 5 तक, 17 से 22 तक 15. सूचना का अधिकार, 2005 धारा – 2,3,4,6,7,8 16. राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 धारा – 3 से 5 तक, 9 से 13 तक 17. राजस्थान समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 2006 18. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 धारा 125, 128 से 132 तक, 134, 134ए, 135 ए, 19. विदेशी अधिनियम, 1946 धारा – सामान्य 20. वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 21. पोक्सो एक्ट, 2012, धारा 3 से 12, 19 22. कोटपा अधिनियम, 2003, धारा 4, 5, 6, 7 23. महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम – 2013 धारा 4, 6, 7, 9, 12, 14, 26 24. राष्ट्रीय अनुसंधान अभिकरण अधिनियम 2008		
भाग V– राजस्थान के अधिनियम तथा नियम 1. राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 धारा 16, 19, 54 2. राजस्थान पुलिस अधिनियम, 2007 धारा – सम्पूर्ण, 3. राजस्थान पुलिस नियम, 2008 – सम्पूर्ण, 4. राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 – 4, 6, 17 से 39 तक 5. *राजस्थान सेवा नियम, 1951 – 13,14,52 से 68 तक, 73 से 79 तक, 88, 91 से 94 तक, 96, 97, 99, 100, 103 से 108 तक, 110, 112, 121, 122, 123 6. *राज. सिविल सेवा आचरण नियम, 1971 – 1 से 32 तक 7. *राज. सिविल सेवा (कार्य ग्रहण अवधि) नियम, 1971 – 1 से 8 तक 8. आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 9. राजस्थान महामारी अधिनियम, 2020,	20	30

प्रश्न पत्र – द्वितीय (भारतीय संविधान, पुलिस संगठन एवं प्रशासन)

कालांश–50 अंक–100

पाठ्यक्रम	कालांश	अंक
भाग –I भारतीय संविधान 1. मौलिक अधिकार, 2. मौलिक कर्त्तव्य, 3. नीति निर्देशक तत्व	10	20
भाग –II राजस्थान पुलिस : संगठन तथा कार्य 1. कार्य प्रणाली शाखा (MOB) 2. स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) 3. एण्टी टेररिस्ट स्कॉड (ATS) 4. राज्य आपदा प्रतिसाद बल (SDRF)	05	20
भाग – III विभिन्न आयोग 1. अनुसूचित जाति आयोग तथा अनुसूचित जनजाति आयोग 2. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग तथा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 3. राष्ट्रीय महिला आयोग तथा राजस्थान महिला आयोग 4. मानवाधिकार तथा गैर सरकारी संगठन : अन्तर्राष्ट्रीय – एमनेस्टी इन्टरनेशन, ह्यूमन राइट्स वॉच, फूड फर्स्ट इन्फोर्मेशन एण्ड एक्शन नेटवर्क इन्टरनेशनल, कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिसिएटिव, एण्टी स्लेवरी (इन्टरनेशनल फोर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स) सोसायटी, राष्ट्रीय–पीपुल्स यूनियन फोर सिविल लिबर्टीज, पीपुल्स यूनियन फोर डेमोक्रेटिक राइट्स	15	20
भाग –IV विविध 1. राष्ट्र गान, राष्ट्र गीत तथा राष्ट्रीय ध्वज 2. पुलिस ध्वज तथा स्टेट पुलिस कलर 3. पुलिस मेडल 4. पुलिस अधिकारियों द्वारा धारण किये जाने वाले रैंक व बैजेज तथा गाड़ियों पर लगने वाले स्टार व झण्डे 5. सेना की तीनों शाखाओं की रैंक व बैजेज, 6. प्रशासन : केन्द्र, राज्य, जिला, न्याय एवं अभियोजन, 7. संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन तथा भारतीय पुलिस, 8. मुख्य सामाजिक समस्याओं के निराकरण हेतु पुलिस का दायित्व,	20	40

प्रश्न पत्र – तृतीय (पुलिस कार्य प्रणाली एवं आंतरिक सुरक्षा)

कालांश–140 अंक–150

पाठ्यक्रम	कालांश	अंक
भाग –I पुलिस कार्यालय, पुलिस थाना, पुलिस लाईन्स 1. फिल्ड यूनिट : रेंज, जिला, पुलिस लाईन, पुलिस वृत्त, पुलिस थाना, पुलिस चौकी। 2. प्रशिक्षणार्थियों को पुलिस थाना, आर.ए.सी. बटालियन/कम्पनी, सीआईडी जोन ऑफिस, अभय कमाण्ड सेन्टर, स्टेट कंट्रोल रूम/कंट्रोल रूम, ट्रेफिक कंट्रोल रूम का भ्रमण। 3. पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी स्थाई आदेशों की जानकारी।	20	20
भाग –II राजस्थान पुलिस नियम, विनियम तथा कानून व्यवस्था 1. राजस्थान पुलिस नियम, 1948 का नियम 87 से 102 तक, 111 से 127 तक, 137 से 142 तक, 143 से 197 तक 2. राजस्थान पुलिस विनियम, 1965 का अध्याय 4 के नियम 4.1 से 4.3 तक, अध्याय 7 के नियम 7. 1 से 7.32 तक 3. विधि विरूद्ध जमाव को तितर–बितर करना तथा न्यूनतम आवश्यक बल का प्रयोग 4. कानून एवं व्यवस्था की गंभीर समस्याएँ : कारण व उपाय 5. राजनैतिक आंदोलन, कृषक आंदोलन, विद्यार्थी आंदोलन, श्रमिक/औद्योगिक मजदूर आंदोलन तथा साम्प्रदायिकता एवं कारण तथा सुरक्षात्मक उपाय 6. कानून व्यवस्था आपदा प्रबंधन : तैयारी एवं कार्यवाही की चैक लिस्ट 7. साम्प्रदायिक हिंसा और दंगे फसाद नियंत्रित करने में पुलिस की भूमिका 8. जुलूस, सभा, समारोह को शांतिपूर्ण नियंत्रित करने में पुलिस/राजस्थान सशस्त्र दल की भूमिका व कर्त्तव्य 9. मेलों, त्योहारों व अन्य आयोजनों पर पुलिस प्रबंध के मुख्य सिद्धान्त व तैनात बल का कर्त्तव्य 10. कर्फ्यू, दंगा ग्रस्त क्षेत्र में जान–माल की सुरक्षा व्यवस्था तथा कर्फ़्यू फ्लैग मार्च, पिकेट्स, नाकाबंदी, दबिश, बीट व्यवस्था 11. रेल्वे व वाहन दुर्घटना के समय तैनात बल के कर्त्तव्य 12. पुलिस, प्रशासन तथा मीडिया में पारस्परिक समन्वय : कानून एवं व्यवस्था के विशेष संदर्भ में।	20	20
भाग –III आंतरिक सुरक्षा व इन्टेलीजेन्स 1. विशिष्ट व्यक्ति की सुरक्षा के आधारभूत सिद्धान्त : ब्लू बुक, कारकेड तथा एण्टी सेबोटेज चैकिंग 2. विशिष्ट व्यक्तियों का वर्गीकरण तथा सुरक्षा श्रेणियाँ 3. विशिष्ट व्यक्ति को अर्थात् राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा मुख्यमंत्री की सुरक्षा के लिए एयरपोर्ट या हेलिपैड, रूट लाइनिंग तथा सभा स्थल पर पुलिस प्रबंध 4. महत्त्वपूर्ण संस्थानों यथा – मंदिर, पुरातत्व स्थल, बाँध, विद्युत संयंत्र, ऑयल डिपो इत्यादि की सुरक्षा : जोखिम विश्लेषण तथा मूल्यांकन 5. आतंकवाद, नक्सलवाद तथा इन्सर्जेन्सी – आतंकवादी संगठनों की विचारधारा तथा मोडस ऑपरेण्डी, आई.एस.आई. द्वारा प्रायोजित आतंकवाद के विशेष संदर्भ में। 6. आसूचना : प्रकार, स्त्रोत तथा संकलन के तरीके 7. विस्फोटक पदार्थों तथा बम संबंधी ज्ञान एवं सुरक्षात्मक कार्यवाहियाँ 8. पी.एस.ओ. के कर्त्तव्य तथा शिष्ट आचरण 9. वी.आई.पी. सुरक्षा में उपयोगी तकनीकी उपकरण – सी.सी.टी.वी., एच.एच.एम.डी., डी.एफ.एम.डी. तथा जैमर इत्यादि 10. गृह सुरक्षा दल (HPT- House Protection Team) भूमिका तथा कर्त्तव्य 11. आतंकवाद – परिचय, प्रकार और कारण 12. आतंकवाद – समूह, कार्य प्रणाली, आतंकवादी संगठनों की गतिविधियों के संबंध में सूचना संकलन, ऑपरेशन आयोजित करने में क्या करना है/क्या नहीं करना है 13. आतंकवाद की रोकथाम, निरूद्ध करना तथा गिरफ्तार करना 14. हवाला फायनेन्स	30	30

पाठ्यक्रम	कालांश	अंक
भाग –IV चुनाव व्यवस्था तथा पुलिस दायित्व		
1. भारतीय चुनाव प्रणाली : निर्वाचन आयोग का संगठन तथा शक्तियाँ 2. चुनाव के दौरान पुलिस के समक्ष आने वाली व्यावहारिक समस्याएँ तथा उनका समाधान। 3. चुनाव संबंधी अपराध एवं पुलिस की शक्तियाँ 4. चुनाव के संबंध में निर्वाचन आयोग द्वारा जारी महत्त्वपूर्ण निर्देश तथा पुलिसकर्मी से अपेक्षित आचरण। 5. शांतिपूर्ण तथा निष्पक्ष चुनाव सम्पन्न कराने हेतु तैनाती पर राजस्थान सशस्त्र दल के सदस्य की भूमिका (1) चुनाव पार्टी की सुरक्षा (2) मतपत्रों की सुरक्षा (3) मतपेटियों/इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन की सुरक्षा (4) मतदान केन्द्र पर शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव करवाना (5) मतदान पेटियों की एस्कॉर्ट ड्यूटी 6. *लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा – 125,128 से 132 तक, 134, 134ए, 135ए 7. *भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 171सी, 171 डी, 171 एफ	25	30
भाग –V आपदा प्रबंधन तथा पुलिस दायित्व		
1. आपदा : अर्थ, कारण तथा वर्गीकरण 2. आपदा प्रबंधन : तैयारी के अनिवार्य तत्व – नियोजन, संचार, नेतृत्व एवं समन्वय, भण्डारण तथा सम्भरण, 3. आपदा प्रबंधन में विभिन्न अभिकरणों की भूमिका : राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के संगठन तथा कार्यप्रणाली के विशेष संदर्भ में 4. आपदा प्रबंधन की विधियां तथा तकनीक : तैयारी तथा न्यूनीकरण – आपदा मानचित्रण (भौगोलिक सूचना प्रणाली तथा रिमोट सेंसिंग), पूर्वानुमान, भविष्यवाणी एवं चेतावनी, राहत कार्य – खोजना, बचाना तथा निकालना (Search, Rescue, Evacuation), सामुदायिक स्वास्थ्य तथा हताहत प्रबंधन – आपातकालीन तथा प्राथमिक चिकित्सा, पुनर्निमाण एवं पुनर्वास 5. प्राकृतिक आपदा पर जन साधारण की सहायतार्थ तैनात सशस्त्र दल के सदस्य की भूमिका तथा लोक सम्पत्ति की रक्षा में पुलिस का सहयोग 6. आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005, धारा 51	20	20
भाग –VI अनुंसधान के वैज्ञानिक तरीके		
1. मानव शरीर रचना, अंग तथा तंत्र – रक्त परिसंचरण तंत्र तथा हृदय, स्नायु तंत्र तथा मस्तिक, श्वसन तंत्र तथा फेफड़े, पाचन तंत्र तथा आमाशय व आंते, उत्सर्जन तंत्र तथा वृक्क, प्रजनन तंत्र तथा जननांग 2. मृत्यु के प्रकार : मृत्यु की पहचान, मरणोपरांत समय निर्धारण एवं राईगर मॉर्टिस (Rigor Mortis) पोस्टमॉर्टम, मृत्यु के तरीके – श्वास अवरोध तथा हृदय आघात से मृत्यु के लक्षण, हत्या तथा आत्महत्या के लक्षण 3. विष के प्रकार, लक्षण तथा उपचार 4. विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं की अनुसंधान में सहायता, 5. पूछताछ की विकसित वैज्ञानिक विधियाँ – पॉलीग्राफ, ब्रेन मैपिंग, नार्को विश्लेषण 6. डी.एन.ए. प्रोफाइलिंग 7. फिंगरप्रिंट : बनावट एवं वर्गीकरण, फिंगरप्रिंट उठाने के तरीके 8. फुटप्रिंट : वर्गीकरण तथा फुटप्रिंट उठाने के तरीके	25	30

प्रश्न पत्र–चतुर्थ (मानव व्यवहार, नैतिकता एवं पुलिस छवि)

कालांश–55 अंक–100

पाठ्यक्रम	कालांश	अंक
भाग –I मानव व्यवहार 1. मानव व्यवहार तथा मनोविज्ञान के मूल सिद्धान्त व पुलिस का कर्त्तव्य 2. सामुदायिक पुलिस तथा जन सहभागिता : समुदाय सम्पर्क दल (सी.एल.जी.) 3. निम्नलिखित परिस्थितियों में पुलिस का सद्व्यवहार, कर्त्तव्य एवं भूमिका • विद्यार्थियों व युवा वर्ग के साथ • श्रमिकों के साथ • व्यथित व पीड़ित व्यक्तियों के साथ • कमजोर वर्ग के व्यक्तियों के साथ • गवाहों के साथ • परिवादी व अन्य व्यक्तियों के थाने पर आने के समय • पुलिस अभिरक्षा में बंदी व्यक्तियों के साथ • यातायात नियमों के उल्लंघनकर्त्ता के साथ • महिलाओं व बच्चों के साथ • वृद्धजनों व विकलांगों के साथ • विधि उल्लंघनकर्ता किशोर (Juvenile In Conflict with Law) के साथ • पर्यटकों के साथ • गवाहों (साक्षी) के साथ व्यवहार,	30	40
भाग –II अन्तर्व्यक्तित्व कौशल तथा प्रबंधन 1. सम्प्रेषण कौशल (Communication Skill) 2. प्रेरणा (Motivation) एवं सिद्धान्त : मास लॉ के सिद्धान्त, हर्जबर्ग का मोटिवेशन सिद्धान्त 3. स्वास्थ्य प्रबन्धन, 4. मीडिया प्रबन्धन 5. मानव संसाधन प्रबंधन व नेतृत्व कौशल	05	30
भाग –III पर्यावरण संरक्षण तथा स्वास्थ्य 1. पर्यावरण का आशय तथा प्रदूषण 2. पर्यावरण संरक्षण में पुलिस की भूमिका : पर्यावरण जागरूकता, वृक्षारोपण, स्वच्छता अभियान, जल संरक्षण अभियान 3. प्रमुख मानव रोग व बचाव : सामाजिक स्वास्थ्य तथा पुलिस कर्मियों का स्वास्थ्य, 4. प्राथमिक चिकित्सा : चोट के प्रकार तथा लक्षण, रक्त स्त्राव बंद करने के तरीके, दुर्घटना स्थल पर प्राथमिक चिकित्सा, कृत्रिम श्वसन की विधियां	20	30

प्रश्न पत्र – पंचम (राजस्थान सशस्त्र दल एवं इसकी कार्यप्रणाली)

कालांश–70 अंक–150

क्र.सं.	पाठ्यक्रम	कालांश	अंक
1.	**भाग –I अधिनियम एवं नियम** 1. राजस्थान सशस्त्र दल अधिनियम, 1950 धारा – सम्पूर्ण, 2. राजस्थान सशस्त्र दल (प्रारूप नियम), 1950 एवं संशोधन, 2007 – सम्पूर्ण 3. राजस्थान पुलिस द्रोह उद्दीपन अधिनियम, 1979 धारा – 3, 4. पुलिस बल अधिकारों का निर्बंधन अधिनियम, 1966 धारा – 2 से 4 तक 5. राज. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 – 12 से 25 तक	25	40
2.	**भाग –II संगठन एवं कार्य** 1. संगठन : राजस्थान सशस्त्र दल तथा मेवाड़ भील कोर के संगठन, बटालियन मुख्यालय तथा सेक्शन, प्लाटून, कम्पनी, बटालियन का कार्य विभाजन एवं कार्य सम्पादन 2. कार्य : कानून व्यवस्था ड्यूटी, दंगा नियंत्रण, चुनाव ड्यूटी, भीड़ नियंत्रण, आपदा ड्यूटी	15	30
3.	**भाग –III वर्गीकरण एवं विभाजन** 1. सशस्त्र बल : आई.आर. बटालियन, रेगुलर बटालियन, एम.बी.सी., हाड़ीरानी बटालियन, 2. विशेष सशस्त्र दल : एस.टी.एफ. तथा ई.आर.टी. 3. सशस्त्र दल : सेक्शन, प्लाटून, कम्पनी, बटालियन का कार्य विभाजन एवं कार्य सम्पादन,	15	30
4.	**भाग –IV एस्कॉर्ट ड्यूटी** 1. कैदी को अदालत और जेल ले जाते समय संतरी के कर्त्तव्य 2. अस्पताल गार्ड में लगे संतरी के कर्त्तव्य, 3. बैक आदि स्थानों से नकद राशि व बहुमूल्य वस्तु ले जाते समय एस्कॉट ड्यूटी 4. रेल और बसों में एस्कॉर्ट ड्यूटी,	10	30
5.	**भाग –V केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) एवं राज. सशस्त्र दल (RAC) का तुलनात्मक अध्ययन** 1. केन्द्रीय पुलिस संगठनों (CAPF)की संगठनात्मक जानकारी एवं बटालियन का सामान्य प्रशासन 2. केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) एवं राज. सशस्त्र दल (RAC) का तुलनात्मक अध्ययन – आन्तरिक सुरक्षा के संदर्भ में।	05	20

Paper- Sixth(Computer and Information Technology)

Periods - 200 Marks–100 (Theorecal- 50 Marks & Practical-50 Marks)

S.N.	Name of Topic	Session (Theory+Practical)
1.	An Overview of Computer Architecture :- • Definition and Types of Computer. • Computer Hardware and Software. • Input and Output Devices. • Storage (Memory) System and organization of data on computers. • Processor and CPU • Operationg System - functioning of an OS, Systems files, drivers, system directory, Introduction to various OS like Windows, Linux, Ubuntu, Android OS, MAC OS etc.	20
2.	Microsoft-Office :- • MS Word - Basics, Formatting, Insert Tables, Header/ Footer, Various Tab Introduction (Home, Page Layout, Design, Layout etc). • MS Excel - Basics, Formatting, Formulas & Filter, Header/ Footer, Various Tab Introduction (Home, Page Layout, Formulas, Data, View etc). • MS Powerpoint- Basics, Formatting, Insert Slides, Slide Show, Various Tab Introduction (Home, Insert, Page Layout, Design, Animations, Slide Show, View etc).	20
3.	Miscellaneous :- • IP address (IPv4 & IPv6), • Internet and Search Engine • Web Browsers and E-Mail • Virus, Worms, Trojan and Anti-Virus. • Social Media and Uses	05
4.	Cyber Crime & Security • Introduction of cyber cirme. • Various types of cyber crimes (Hacking, Spoofing, Skimming, Spamming, Data Modification, Cyber Bullying, Stalking, Pornography, Identity theft etc.) • Financial Fraud. • Concept of Surface web/Deepweb/Darkweb, Tor Browser and Cryptocurrency. • Cyber security : Concepts of cyber security and methods.	10
5.	Cyber Laws :- • Information Technology Act, 2000 • Information Technology Act, 2008 (Amendment)	10
6.	Case study :- • Latest Trend of Cyber Crime and Economic offences	05

S.N.	Name of Topic	Session (Theory+Practical)
7.	Web Portals/Mobile Applications used in Rajasthan Police :- • Master Mind. • NCRB (Vahan Samanvay) • Rajasthan Police Web Portal. • Child Tracking Web Portal. • ICJS. • RAJKAJ. • Lites. • Pay Manager. • Dreams. • SSO Portal. • Rajasthan Samprak Portal. • RajCop App. • IFMS. • Video Conference Applications (Google Meet, Cisco Webex, Microsoft Meet etc.)	10
8.	CCTNS (Crime and Criminal Tracking Network and Systems) :- • Introduction of CCTNS. • General Diary :- Rojnamcha Aam. • About I.I.F. (Integrated Investigation Forms) ❖ IIF-I :- First Information Report ❖ IIF-II :- Crime Detail Form ❖ IIF-III :- Arrest/Court Surrender Form ❖ IIF-IV :- Property Search and Seizure Form ❖ IIF-V :- Final Report Form (FR/Charge Sheet) ❖ IIF-VI :- Court Disposal Form ❖ IIF-VII :- Result of Appeal Form • Missing Person Report, Missing Cattle Report, Unidentified dead body, Marg, Pariwad inquiry. • Case Diary and Crime Digest in CCTNS.	20
9.	Typing (Hindi & English)	100

प्रश्न पत्र–सप्तम (आर.ए.सी. में नेतृत्व एवं प्रबंधन का विशेष प्रशिक्षण)

कालांश– 60, अंक– 100

क्र. सं.	पाठ्यक्रम	कालांश	अंक
1.	व्यक्तित्व विकास : लीडरशिप, काउंसलिंग, कम्यूनिकेशन, निगोशियेशन, अन्तर्व्यक्तित्व कौशल तथा प्रबंधन	03	30
2.	संस्थागत नेतृत्व एवं प्रबंधन की विशेषताऐं	01	
3.	बटालियन कमाण्डेन्ट स्तर पर नेतृत्व एवं प्रशासनिक प्रबंधन (आरएसी प्रारूप नियम 1950 संशोधन नियम 2007 का नियम 22)	03	
4.	कम्पनी कमाण्डर स्तर पर नेतृत्व एवं प्रशासनिक प्रबंधन (आरएसी प्रारूप नियम 1950 संशोधन नियम 2007 का नियम 36)		
5.	सुबेदार एडज्युटेन्ट स्तर पर नेतृत्व एवं प्रशासनिक प्रबंधन (आरएसी प्रारूप नियम 1950 संशोधन नियम 2007 का नियम 31)		
6.	प्लाटून कमाण्डर स्तर पर नेतृत्व एवं प्रबंधन (आरएसी प्रारूप नियम 1950 संशोधन नियम 2007 का नियम 37)		
7.	''वी.आई.पी.'' व ''वी.वी.आई.पी.'' की सुरक्षा	03	
8.	क्वार्टर गार्ड एवं सिक्योरिटी पोस्ट की सुरक्षा (आरपीआर 1948 का नियम 143 से 160)	08	20
9.	प्लाटून/कम्पनी हेतु कल्याण कार्य (Welfare) (आरएसी प्रारूप नियम 1950 संशोधन नियम 2007 का नियम 56 व 57)	10	
10.	अचानक ड्यूटी के लिये कम्पनी व प्लाटून की तैयारी व प्रबंधन (सैद्धान्तिक व प्रायोगिक) (आरपीआर 1948 का नियम 115 व 123)	06	20
11.	चुनाव ड्यूटी (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951)	08	
12.	कोत प्रबंधन (इंचार्ज पी.सी. कोत के रूप में कार्य) (आरपीआर 1948 का नियम 137 से 142)	06	30
13.	मैस प्रबंधन (सैद्धान्तिक व प्रायोगिक) (आरएसी प्रारूप नियम 1950 संशोधन नियम 2007 का नियम 60 से 64) (A) कैश बुक संधारण (B) बिल बुक संधारण (C) स्टॉक बुक संधारण (D) इन्चार्ज पी.सी. (मैस) के रूप में कार्य	12	

प्रश्न पत्र – अष्टम (लेखा, वित्तीय नियम तथा रिकॉर्ड संधारण)

कालांश–20 अंक–50

क्र.सं.	पाठ्यक्रम	कालांश	अंक
1.	**भाग–I राजकीय वित्तीय प्रबंधन एवं नियंत्रण की सामान्य प्रणाली** 1. राजकीय वित्त के उपयोग के सामान्य सिद्धांत 2. राजस्व एवं प्राप्तियां, सामान्य जानकारी, 3. लेखों के संधारण के संबंध में कर्त्तव्य/रोकड़बहियों का संधारण, 4. लोक उपापन नियमों का व्यवहारिक ज्ञान 5. भण्डार क्रय नियम– भौतिक सत्यापन, अनुपयोगी सामान निरस्तारण,	07	20
2.	**भाग–II वेतन एवं भत्ते** 1. मूलभूत वेतन एवं भत्ते, 2. यात्रा भत्ता नियम/चिकित्सा पुनर्भरण नियम/मेडिक्लेम योजना, 3. चयनित वेतनमान नियम/आश्वासित कैरियर प्रगति स्कीम, 4. पेशन नियम/नवीन पेंशन योजना, 5. आयकर – सामान्य जानकारी,	08	20
3.	**भाग–III व्यक्तिगत वित्त प्रबंधन एवं कल्याणकारी योजनाएँ** 1. व्यक्तिगत वित्त प्रबंधन आवश्यकता एवं महत्त्व, 2. राज्य बीमा/प्रावधायी निधि योजना, 3. राज. पुलिस कल्याण न्यास योजना, 4. राज. पुलिस बैलवेलेण्ट फण्ड, 5. जीवन बीमा, सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना, 6. पे–मैनेजर एवं एस.एस.ओ. पोर्टल की जानकारी,	05	10

राजस्थान सशस्त्र दल/मेवाड़ भील कोर, प्लाटून कमाण्डर/उप निरीक्षक प्रारम्भिक पाठयक्रम : आउटडोर–विषय

प्रश्न पत्र : प्रथम – शारीरिक प्रशिक्षण व यू.ए.सी.

क्र.सं.	विषय – शारीरिक प्रशिक्षण व यू0ए0सी0			कालांश 155	अंक 200
1.	पी0टी0	पी0टी0 फ्री हेण्ड 5 बीएक्स प्लान चार्ट नम्बर 1 से 6		30	30
2.	ग्राउण्ड वर्क : गदद‍े पर प्रशिक्षण फ्रंटरोल व बैकरोल			10	10
3.	रोप वर्क : पुरुष तीनों दर्जे व महिला केवल तीसरा दर्जा			20	20
4.	योगासन व प्राणायाम			10	20
5.	घोड़ा	पुरुष –आड़ा व लम्बा घोड़ा 08 अंक व 12 अंक		15	20
		महिला – केवल आड़ा घोड़ा			
6.	बीम व बैलंस वर्क	पुरुष हेविंग बीम – अन्डर ग्रिप 6 व ओवर ग्रिप 4 12 अंक व 08 अंक		10	20
		महिला – बैलेन्स वर्क करना			
7.	असाल्ट :– डब्लू वॉल, स्ट्रेटवॉक, लियोपोर्ड केव, 2फिट 6 इंच जम्प, अण्डर कोल, वोल्टिंग गेट, मंकी रोप, 6 फीट वॉल, बलेन्सीग डिच, 6 फीट दमदमा, जिग जेग बेलेन्स, स्टेपिंग स्टोन, 9 फीट वॉल, टारजन स्वींग, पाईपलेडर (महिला– डब्लू वॉल, मंकी रोप, 9′ वाल, पाईपलेण्डर, ऑब्स्टेकल के अलावा)			20	20
8.	कूद	पुरुष	महिला	10	20
	ऊँची कूद	3, 3.½, 4 फीट 6 8 10 अंक	2½, 3, 3½फीट 6 8 10 अंक		
	लम्बी कूद	13 14 15 फीट 6 8 10 अंक	10 11 12 फीट 6 8 10 अंक		
9.	वाक एण्ड रन	पुरुष 5 कि0मी0	22 25 28 मि. 20 15 10 अंक	20	20
		महिला 5 कि0मी0	25 28 30 मि. 20 15 10 अंक		
10.	यू0ए0सी0 : होल्ड्स, रिलीज, किक्स व फॉल्स			10	20
12.	खेल नियमित				

प्रश्न पत्र : द्वितीय – कवायद् प्रशिक्षण

क्र. सं.	विषय –कवायद (ड्रिल) प्रशिक्षण	कालांश 108	अंक 200
1.	टर्न आउट	02	05
2.	खाली हाथ ड्रिल मय प्रशिक्षक योग्यता	15	40
3.	राईफल सहित ड्रिल मय प्रशिक्षक योग्यता	15	30
4.	राईफल एक्सरसाइज	10	25
5.	प्लाटून व कम्पनी ड्रिल	10	25
6.	गार्ड ड्यूटीज व गार्ड माउन्टिंग	10	10
7.	सम्मान गार्ड	10	10
8.	किच ड्रिल	10	20
9.	केन ड्रिल	08	10
10.	सेरेमोनियल ड्रिल	10	15
11.	यातायात संकेत	05	5
12.	अन्त्येष्टी कवायद	03	5

प्रश्न पत्र : तृतीय –हथियार प्रशिक्षण, मेन्टीनेंस एवं मस्केट्री, सिमुलेटर प्रेक्टिस

क्र. सं.	विषय – हथियार प्रशिक्षण एवं मस्केट्री	कालांश 165	अंक 250
1.	.22 राईफल	4	5
2.	7.62 एमएम एस0एल0आर0	20	20
3.	ए0के0 47 / 56 राईफल	15	20
4.	5.56 एमएम इन्सास राईफल	15	20
5.	एल0एम0जी0 7.62 एमएम	7	10
6.	एल0एम0जी0 5.56 एमएम इन्सास	8	10
7.	9 एम.एम कारबाईन मशीन गन	10	10
8.	9 एमएम एम.पी.–5	10	10
9.	9 एमएम पिस्टल व ग्लोक पिस्टल	20	20
10.	नाईट विजन डिवाइस	2	5
11.	बुलेट प्रूफ जेकेट	2	5
12.	प्रोजेक्ट्र पायरोटेक्निक 13एमएम (मिनी प्लेयर–4)	2	5
13.	12 बोर पम्प एक्शन गन	10	10
14.	सिमूलेटर पर अभ्यास (SATS)	10	0
15.	फायरिंग, मस्केट्री, मेन्टीनेन्स व कोम्बैट शूटिंग टेक्निक	30	100
	योग	**165**	**250**

फायरिंग अभ्यास : 12 वाँ सप्ताह

.22 राईफल	ग्रुपिंगलेइंग पोजीशन	5 राउण्ड	25 गज	1'x1'	10 अंक	1"	2"	3"	4"
						10	8	6	5
	एप्लीकेशन लेइंग पोजीशन बिना रेस्ट	5 राउण्ड	25 गज	1'x1'	20 अंक	B	I	M	O

फायरिंग अभ्यास : 14 वाँ सप्ताह

9 एम.एम कार्बाइन फायरिंग राउण्ड–15 टारगेट फिगर –11																	
एम्ड फायर स्टैण्डिंग पोजीशन 15 गज राउण्ड–5				बैटलक्राउच पोजीशन 10 गज राउण्ड–5			एम्ड ब्रस्ट फायर स्टैण्डिंग पोजीशन 15 गज राउण्ड–5			स्टैण्डिंग पोजीशन एम्ड फायर (सिंगलहैण्ड) 10 गज **राउण्ड – 3**			स्टैण्डिंग पोजीशन एम्ड फायर (डबल हैण्ड) 15 गज **राउण्ड – 3**				
4X2"	16X12"	शेष	**अंक**	**हिट** 16X12"	**रैस्ट**	**अंक**	**हिट** 16X12"	**रैस्ट**	**अंक**	**हिट**	**रैस्ट**	**अंक**	**हिट**	**रैस्ट**	**अंक**		
4 अंक	2 अंक	1 अंक	**20**	4 अंक	2 अंक	**20**	4 अंक	2 अंक	**20**	9 अंक	6 अंक	**27**	9 अंक	6 अंक	**27**		

(पिस्टल फायरिंग राउण्ड– 06: स्टैण्डिंग पोजीशन कॉलम)

फायरिंग अभ्यास : 16वाँ सप्ताह

9 एमएम एम.पी. –5	स्टेण्डिंग पोजिशन एम्ड फायर	5 राउण्ड	15 गज	फिगर 11	05 अंक	प्रत्येक हिट 01 अंक
	बेटल क्राउच पोजिशन	5 राउण्ड	10 गज	फिगर 11	05 अंक	प्रत्येक हिट 01 अंक
	स्टेण्डिंग पोजिशन एम्ड ब्रस्ट	5 राउण्ड	15 गज	फिगर 11	05 अंक	प्रत्येक हिट 01 अंक
9 एमएम पिस्टल	स्टेण्डिंग एम्ड सिंगल हेण्ड	3 राउण्ड	15 गज	फिगर 11	06 अंक	प्रत्येक हिट 02 अंक
	स्टेण्डिंग एम्ड डबल हेण्ड	3 राउण्ड	20 गज	फिगर 11	06 अंक	प्रत्येक हिट 02 अंक

फायरिंग अभ्यास : 18 वाँ सप्ताह

इन्सास राईफल 5.56	ग्रुपिंग लेइंग पोजीशन	5 राउण्ड	100 गज	4x4	10 अंक	ग्रुप	1–4	5–6	7–8	9–10	10–12
						अंक	10	9	8	7	6
	एप्लीकेशन लेइंग पोजीशन	5 राउण्ड	100 गज	4x4	05 अंक	हिट	B		I	M	O
						अंक	1		¾	½	¼
एस.एल.आर. 7.62 एमएम	ग्रुपिंग लेइंग पोजीशन	5 राउण्ड	100 गज	4x4	10 अंक	ग्रुप	1–4	5–6	7–8	9–10	10–12
						अंक	10	9	8	7	6
	एप्लीकेशन निलिंग पोजीशन टाईम्ड फायर 40 सेकैण्ड	5 राउण्ड	200 गज	4x4	05 अंक	हिट	B	I		M	O
						अंक	1	¾		½	¼
ए.के. 47 राईफल	ग्रुपिंग लेइंग पोजीशन	5 राउण्ड	100 गज	4x4	05 अंक	ग्रुप	1–4	5–6	7–8	9–10	10–12
						अंक	5	4½	4	3½	3
कार्बाईन 9 एमएम	स्टेण्डिंग पोजिशन एम्ड फायर	5 राउण्ड	15 गज	फिगर 11	05 अंक	प्रत्येक हिट 01 अंक					
	बेटल क्राउच पोजिशन	5 राउण्ड	10 गज	फिगर 11	05 अंक	प्रत्येक हिट 01 अंक					
	स्टेण्डिंग पोजिशन एम्ड ब्रस्ट	5 राउण्ड	15 गज	फिगर 11	05 अंक	प्रत्येक हिट 01 अंक					
9 एमएम पिस्टल	स्टेण्डिंग एम्ड सिंगल हेण्ड	5 राउण्ड	15 गज	फिगर 02	05 अंक	प्रत्येक हिट 01 अंक					
	स्टेण्डिंग एम्ड डबल हेण्ड	5 राउण्ड	20 गज	फिगर 02	05 अंक	प्रत्येक हिट 01 अंक					

फायरिंग अभ्यास : 20 वाँ सप्ताह

9 एमएम पिस्टल फायरिंग राउण्ड–10 इम्प्रोवाईज्ड टारगेट						योग अंक
स्टेण्डिंग पोजीशन (सिंगलहैण्ड) 15 गज **राउण्ड –5**			स्टेण्डिंग पोजीशन(डबलहैण्ड) 25 गज **राउण्ड–5**			
हरा	लाल	**अंक**	हरा	लाल	**अंक**	
4 अंक	0 अंक	**20**	3 अंक	0 अंक	**15**	**35**

फायरिंग अभ्यास : 22 वाँ सप्ताह

9 एमएम पिस्टल फायरिंग राउण्ड–10 इम्प्रोवाईज्ड टारगेट						योग अंक	9 एम.एम. कार्बाईन फायरिंग राउण्ड –15 इम्प्रोवाईज्ड टारगेट									
50गज दौड़ कर फायर अटैक पोजीशन (डबलहैण्ड) 20 गज **राउण्ड –5**			स्टेण्डिंग पोजीशन (डबलहैण्ड) 25 गज **राउण्ड–5**				एम्ड फायर स्टेण्डिंग पोजीशन 25 गज **राउण्ड –5**			बैटल क्राउच पोजीशन 15 गज **राउण्ड – 5**			एम्ड फायर, स्टेण्डिंग पोजीशन 20 गज **राउण्ड – 5**			योग अंक
हरा	लाल	**अंक**	हरा	लाल	**अंक**		हरा	लाल	**अंक**	हरा	लाल	**अंक**	हरा	लाल	**अंक**	
6 अंक	0 अंक	**30**	6 अंक	0 अंक	**30**	**60**	4 अंक	0 अंक	**20**	4 अंक	0 अंक	**20**	2 अंक	0 अंक	**10**	**50**

फायरिंग अभ्यास : 24 वाँ सप्ताह

9 एमएम पिस्टल फायरिंग राउण्ड 10 इम्प्रोवाईज्ड टारगेट						योग अंक	9 एम.एम. एम.पी.–5 फायरिंग राउण्ड –15 टारगेट फिगर –2												
50गज दौड़ कर फायर अटैक पोजीशन (डबलहैण्ड) 20 गज **राउण्ड –5**			स्टेण्डिंग पोजीशन 25 गज **राउण्ड–5**				एम्ड फायर स्टेण्डिंग पोजीशन 25 गज **राउण्ड –5**				बैटल क्राउच पोजीशन 15 गज **राउण्ड – 5**			एम्ड ब्रस्ट फायर 20 गज **राउण्ड – 5**			योग अंक
हरा	लाल	**अंक**	हरा	लाल	**अंक**		6"X8"	12"X16"	शेष	**अंक**	हिट 12"X16"	रेस्ट	**अंक**	हिट 12"X16"	रेस्ट	**अंक**	
6 अंक	0 अंक	**30**	6 अंक	0 अंक	**30**	**60**	4 अंक	2 अंक	1 अंक	**20**	4 अंक	2अंक	**20**	2 अंक	1अंक	**10**	**50**

अन्तिम फायरिंग परीक्षा

हथियार का नाम	फायर का प्रकार	राउण्ड	दूरी (गज मे)	टारगेट	अंक	अंक					
5.56 एमएम इन्सास राईफल	ग्रुपिंग	05	100	4x4	20	साईज	1-4	5-6	7-8	9-10	10-12
						अंक	20	18	16	14	12
	एप्लीकेशन	05	100	4x4	05	हीट	B	I	M	O	
						अंक	1	¾	½	¼	
7.62 एमएम एस.एल.आर	स्नेप शूटिंग	05	200	22”	05	प्रत्येक हीट 01 अंक					
	एप्लीकेशन निलिंग पोजीशन (समय 40 सैकण्ड)	05	200	4x4	10	हीट	B	I	M	O	
						अंक	2	1½	1	½	
ए.के 47 राईफल	ग्रुपिंग	05	100	4'x4'	10	साईज	1-4	5-6	7-8	9-10	10-12
						अंक	10	9	8	7	6
9 एमएम कारबाईन/एमपी–5	स्टेण्डिग पोजिशन एम्ड फॉयर	05	15	Fig-11	10	प्रत्येक हीट 02 अंक					
	बेटल काउच पोजिशन ब्रस्ट	05	10	Fig-11	10	प्रत्येक हीट 02 अंक					
	स्टेण्डिग पोजिशन एम्ड फायर	05	15	Fig-11	10	प्रत्येक हीट 02 अंक					
9 एमएम पिस्टल/ग्लोक	स्टेण्डिग पोजिशन सिंगल हैण्ड एम्ड फॉयर	05	15	Fig-02	10	प्रत्येक हीट 02 अंक					
	स्टेण्डिग पोजिशन डबल हैण्ड एम्ड फॉयर	05	20	Fig-02	10	प्रत्येक हीट 02 अंक					
	योग				**100**						

प्रश्न पत्र : चतुर्थ –पुलिस विषय एवं आपदा प्रबन्धन

क्र. सं.	विषय–पुलिस विषय	कालांश 40	अंक 100
1.	**सड़क पंक्ति व यातायात संचालन** (उदेश्य, सड़क पक्ति के फॉरमेशन, सड़क पंक्ति हेतु अलग–अलग फॉरमेशन मे खुलना व सिमटना	08	20
2.	**फायर फाईटिंग** (परिचय, आग की परिभाषा, आग फैलने के तरीके, आग के प्रकार, आग बुझाने का तरीका, आग बुझाने के यंत्र, फायर पॉईन्ट स्थापित करना, फायर फाईटिंग की पार्टियॉ)	5	15
3.	**प्राथमिक चिकित्सा** (उद्देश्य, पुलिस कर्मियो द्वारा प्राथमिक उपचार एवं उनके स्वर्ण–सूत्र, कपड़ो में आग लगना, सांप द्वारा काटना, पागल कुत्ते द्वारा काटना, विषैले कीट पंतगें द्वारा डंक मारने पर उपचार)	5	10
4.	**आपदा प्रबन्धन, रेस्कयू एवं रिलीफ में पुलिस की भूमिका** (परिभाषा, आपदा के प्रकार, बाढ़, आगजनी, महामारी, भूकम्प के समय राहत कार्यो में पुलिस की भूमिका)	08	20
5.	**चुनाव ड्यूटी मे पुलिस की भूमिका का व्यवहारिक ज्ञान** (निश्पक्ष एवं शान्ती पूर्ण मतदान करवाने हेतु समय–समय पर जारी चुनाव आयोग के निर्देशो के बारे में जानकारी, चुनाव में पुलिस की भूमिका, मतपेटी संग्रहण केन्द्र की सुरक्षा व्यवस्था)	08	15
6.	**बिगुल कॉल्स की जानकारी** (बिगुल कॉल्स के बारे मे जानकारी व कॉल के प्रकार)	3	10
7.	**वायरलैस** (वायरलैस का इतिहास, इस्तेमाल एवं जोखिम, संचार के प्रकार, रेडियो संचार, संदेश का लिखना एवं भेजना, संचार के अन्य तरीके, फैस, ई–मेल, टेलीप्रिन्टर, संदेश भेजने एवं प्राप्त करने के सभी तरीके व वॉकी टॉकी, मार्श, कोड इत्यादि का प्रेटिकल अभ्यास, आधुनिक संचार के उपकरणो की जानकारी जैसे :– सैटेलाईट फोन, इन्टरनेट एवं जीपीएस)	3	10
	योग :–	**40**	**100**

प्रश्न पत्र : पंचम –फिल्ड क्राफ्ट व टेक्टिस

क्र.सं.	विषय–फिल्ड क्राफ्टव टेक्टिस	कालांश 35	अंक 100
1	**फिल्ड क्राफ्ट व टेक्टिस** फिल्ड क्राफ्ट की परिभाषा एवं जानकारी, चीजों के नजर आने और उनके छुपने के सिद्धान्त, दूरी का अनुमान लगाना, टारगेट्स का बयान और पहचान, कैमोफ्लेज और कन्सीलमेन्ट, फॉयर कन्ट्रोल ऑर्डर देने का तरीके, रात के सन्तरी की ड्यूटियॉ, रात की देखभाल, खाली हाथ और राइफल के साथ हरकत, फायर पोजीशन का चुनना	08	20
2	**ई.ओ.डी.(एक्सटेण्डेड ऑर्डर ड्रिल)** क्षेत्र में फैले हुए दल को इशारों से कवायद का आदेश, नियोजन, सिमटना या निकट आना, हाथ के संकेत, सिटी बजाकर नियंत्रण रखना, शहरी इलाके मे मार्च करना एवं अपनाये जाने वाले फारमेशन	2	10
3	**मेप रिडिंग** मेप की परिभाषा, दिशाये और उनकी डिग्रियॉ, उत्तर दिशा ज्ञात करना और उत्तर के प्रकार, सर्विस प्रिज्मैटिक कम्पास	3	10
4	**एम्बुस व पेट्रोलिंग** एम्बुश का परिचय, परिभाषा, उद्देश्य, विशेषतायें एवं प्रकार, काउन्टर एम्बुश, पेट्रोलिंग की परिभाषा, परिचय, जरूरत, प्रकार, एम्बुश एवं पैट्रोलिंग में ध्यान रखने वाली बाते	3	10
5	**घेरा बन्दी, दबिश व तलाशी** योजना बनाना, तैयारी, कार्यवाही, छानबीन करना	4	10
6	**नाका बन्दी** परिभाषा, योजना बनाने, एवं नाका लगाते समय ध्यान में रखने वाली बाते	4	10
7	**वी.आई.पी. सुरक्षा** वीआईपी सुरक्षा के बुनियादी सिद्धान्त, भीड़ को नियत्रंण करने के तरीके, वीआईपी के प्रकार, ब्लू बुक, प्रमुख आतंकवादी संगठन, एन्टी सबोटेज चैंक, हाउस प्रोटेक्शन ड्यूटी, व्हील सर्च, समारोह स्थल की सुरक्षा	4	10
8	**एस्कॉर्ट ड्यूटी** केश, आर्म्स एवं एमुनेशन	4	10
9	जंगल के बारे में आम जानकारी व जंगल में टेक्टिकल हरकत से सफलता हासिल करना ।	3	10
	कुल :–	**35**	**100**

प्रश्न पत्र :– षष्टम – भीड़ नियन्त्रण, भीड़ प्रबन्धन एवं बलवा नियंत्रण

क्र. सं.	विषय–भीड़ नियन्त्रण, भीड़ प्रबन्धन एवं बलवा नियंत्रण	कालांश 30	अंक 70
1	**लाठी ड्रिल**–(लाठी के साथ सवाधान, विश्राम, आराम से, सजना, लाठी अभ्यास के लिए खुलना सिमटना, तान लाठी, चोट मारना व बचाव करना, ठूसा ठूसना, अन्तर पाषाण, मजमा धकेलना	08	10
2	**बलवा परेड**–अनियन्त्रित भीड़ के समक्ष आत्म नियन्त्रण समझाइस के तरीके, पथराव पर संयम सहित नियंत्रण के तरीके	15	40
3	**गैस गन एवं गैस म्युनेशन** :– वाटर केनन, वज्र, अग्नि वर्षा वाहन, अश्रु गैस सैल, ग्रेनेड, गैस, केप्सी स्प्रे (Capsi Spray) केप्सी ग्रनेड (Capsi Grenade) गैस मास्क, प्लास्टिक ढाल (पोली कार्बोनेट), हेलमेट, गैसगन की जानकारी, गैस फायर प्रैक्टिस, 12 बोर पम्प एक्शन गन **नोट** :– प्रशिक्षण के दौरान सिखलाई देने के बाद 12 बोर पम्प एक्शन गन से 2 राउण्ड प्रति प्रशिक्षार्णी से फायरिंग अभ्यास करवाया जायेगा।	07	20
	योग :–	**30**	**70**

प्रश्न पत्र :– सप्तम–विस्फोटक एवं बम्ब डिस्पोजल

क्र. सं.	विषय –विस्फोटक एंव बम डिस्पोजल	कालांश 20	अंक 50
1.	(अ) विस्फोटक पदार्थो की पहचान, जानकारी एवं विशेषतायें	4	10
	(ब) विस्फोटक पदार्थो से बने विभिन्न बम्बों की पहचान व सुरक्षा संबन्धी सावधानियां	4	10
	(स) आई. ई. डी. व इसमें इस्तेमाल होने वाली बुनियादी सामग्री (मेकेनिज्म) की जानकारी	4	10
	(द) विस्फोटक सामग्री की तकनीकी व सामान्य जानकारी	4	10
	(य) विस्फोटक (आई.ई.डी.) को खोजने के बाद सुरक्षित ले जाकर निष्क्रिय करने का तरीका (RSP–रेडर सेफ प्रोसेस)	4	10
	योग	20	50

प्रश्न पत्र :– अष्ठम – आरएसी में नेतृत्व एवं प्रबंधन का विशेष प्रशिक्षण

क्र. सं.	विषय – आएसी में नेतृत्व एवं प्रबंधन का विशेष प्रशिक्षण	कालांश 80	अंक 50
1.	पी.टी, योगा, रस्सा कार्य, हॉर्स वर्क, यू.ए.सी, बीम कार्य, ग्राउण्ड कार्य।	16	10
2.	स्क्वाड ड्रिल, सेरेमोनियल ड्रिल, राईफल एक्सरसाईज, बलवा कवायद, गार्ड माउन्टींग व पी0सी0 / सी0सी0 की ड्यूटियॉ, प्लाटून ड्रिल, कम्पनी ड्रिल, गार्ड ऑफ ऑनर, क्रिच कवायद।	16	10
3.	फायरिंग बट प्रबंधन, सभी हथियारों की हैण्डलिंग, निशानेबाजी प्रशिक्षण व सिद्धान्त, काम्बेट शूटिंग तकनीक, साईट एलाइनमेन्ट व साईट पिक्चर के सिद्धान्त, ग्रुप विश्लेषण व सुधारात्मक निर्देश, जिरोईंग (सभी हथियारों की)	16	10
4.	1. वायरलैस सैटों का संचालन, रख–रखाव व संचार 2. विभिन्न आतंकवादी व दस्यु उन्मूलन अभियानों में कमाण्डर ड्यटी जैसे (i) घेरा व तलाशी (ii) चांस एनकाउण्टर (iii) पेट्रोलिंग (iv) दबिश (v) एम्बूश 3. इन अभियानों की विस्तृत जानकारी यथा – रैकी, योजना बनाना, ब्रीफिंग, अभियान का संचालन व डी0 ब्रीफिंग, "वी0ए0" व "वी0पी0" की सुरक्षा, "सिक्योरिटी पोस्ट" की सुरक्षा	16	10
5.	1. प्लाटून / कम्पनी हेतु कल्याण कार्य (Welfare) 2. मैस प्रबंधन (सैद्धान्तिक व प्रायोगिक) (i) कैश बुक संधारण (ii) बिल बुक संधारण (iii) स्टॉक बुक संधारण (iv) इन्चार्ज पी0सी0 (मैस) के रूप में कार्य 3. अचानक ड्यूटी के लिये कम्पनी व प्लाटून की तैयारी व प्रबंधन (सैद्धान्तिक व प्रायोगिक) 4. चुनाव ड्यूटी 5. कोत प्रबंधन (इंचार्ज पी0सी0 कोत के रूप में कार्य)	16	10
	योग	**80**	**50**

प्रश्न पत्र : नवम् (क्वालीफाईग) — मोटर साईकिल, हल्का वाहन का चालन, संचालन एवं प्रबंधन

क्र. सं.	विषय –मोटर साईकिल, हल्का वाहन का चालन, संचालन एवं प्रबंधन (क्वालीफाईग)	कालांश 50	अंक 00
1.	मोटर साईकिल, हल्का वाहन का चालन, संचालन एवं प्रबंधन	50	0
	योग	50	0

प्रश्न पत्र : दसम् (क्वालीफाईग)—तैराकी

क्र. सं.	विषय –तैराकी	कालांश 35	अंक 00
1.	तैराकी	**35**	0
	योग	**35**	0

प्रश्न पत्र : ग्यारह (क्वालीफाईग) —घुड़सवारी

क्र. सं.	विषय – घुड़सवारी	कालांश 35	अंक 00
1.	घुडसवारी (क्वालीफाईग)	35	0
	योग	35	0

प्रशिक्षणार्थियों का व्यवहारिक भ्रमण :– प्रशिक्षणार्थियों को प्रत्येक शनिवार दोपहर पश्चात् पुलिस थाना, आरएसी बटालियन/कम्पनी, सीआईडी जोन ऑफिस, अभय कमाण्ड सेन्टर, स्टेट कन्ट्रोल रूम/कन्ट्रोल रूम, ट्रेफिक कन्ट्रोल रूम का भ्रमण कराया जायेगा।

रूट मार्च :– प्रशिक्षण के दौरान 8वें सप्ताह में 5 किलोमीटर, 12 वे सप्ताह में 8 किलोमीटर, 20 वे सप्ताह में 10 किलोमीटर, 24वे सप्ताह में 12 किलोमीटर, 30वें सप्ताह में 16 किलोमीटर का रात्रि रूट मार्च होगा।

जंगल कैम्प :– आउटडोर के आंठवे विषय तक प्रशिक्षण दिये जाने के बाद 12 दिन का जंगल कैम्प प्रशिक्षण दिया जायेगा :–जंगल प्रवास, सहिष्णुता, जहरीले जानवरों से बचाव, रूट मार्च, रात्रिकाल में दिशा और नक्षत्र ज्ञान, वनस्पति का ज्ञान, पशु और पक्षी की पहचान, आवाज/ध्वनी का ज्ञान, नक्शे पर स्थान की पहचान और ढूँढना, मुठभेड़ का अभ्यास, गिरिजन (प्रजाति) संस्कृति परिचय, हथियार और सामान सहित लंबी दूरी का मार्च, नदी नाले और पहाड़ी क्षेत्र पार करना, घात लगाना और बचाव, दस्यु विरोधी अभियान की सिखलाई।

राजस्थान सशस्त्र दल/मेवाड़ भील कोर, प्लाटून कमाण्डर प्रारम्भिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सामान्य निर्देश

1. **स्वागत** :—प्रशिक्षु प्लाटून कमाण्डर के प्रशिक्षण केन्द्र पर लगभग 9 माह के गहन प्रशिक्षण हेतु आगमन से पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र में एक स्वागत कक्ष की स्थापन की जायेगी, जिसमें एक सुयोग्य पुलिसकर्मी नियुक्त किया जायेगा जो प्रशिक्षुओं के आगमन के समय उनके लिए निर्धारित आवास, भोजनालय, केन्टीन, स्नानगृह, शौचालय, मनोरंजनगृह, पुस्तकालय एवं वाचनालय, परेड ग्राउण्ड, अधिकारियों के कार्यालय, चिकित्सालय एवं प्रशिक्षण संस्थान की जानकारी प्रदान करेगा। इसके पश्चात् एक निश्चित समय पर सादे समारोह में संस्था प्रधान भी प्रशिक्षुओं और प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण के महत्व एवं समय के सदुपयोग पर मार्गदर्शन देंगे।
2. **नाप तोल एवं शारीरिक तथा मानसिक स्थिति** :—किसी प्रशिक्षु के निर्धारित नाम तोल में कम पाये जाने, संसर्गीय अथवा गंभीर रोग, आँखों के भैंगेपन या किसी भी अंग में विकलांगताग्रसित एवं महिला प्रशिक्षु गर्भवती पाये जाने पर उसके संबन्ध में प्रशिक्षण निदेशालय को तत्काल अवगत कराया जायेगा।
3. **आवास** :—समस्त प्रशिक्षुओं के लिए आवास उपलब्ध कराया जायेगा, जिसमें पर्याप्त मात्रा में रोशनी हेतु बल्ब, ट्यूब लाईट, पखें, डेजर्ट कूलर आदि की व्यवस्था की जायेगी। किसी प्रशिक्षु को निर्धारित आवास के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर निवास की अनुमति नहीं दी जायेगी। आवास के अन्दर स्टोव, हीटर, रेडियो, टेप आदि का प्रयोग करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। आवास के बाहर निकलते समय बिजली एवं पंखे बन्द कर दिये जायेंगे। प्रशिक्षण परिसर में प्रशिक्षु बिना अनुमति मोबाईल फोन का उपयोग नहीं कर सकेंगे।
4. **भोजन व्यवस्था** :— समस्त प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण संस्थान के अन्दर प्रशिक्षुओं के लिए निर्धारित भोजनालय में ही भोजन कराना होगा। किसी भी दशा में अन्यत्र भोजन करने की अनुमति नहीं दी जाये। भोजन व्यवस्था के लिए आगमन के समय भोजनालय में लुँगी, गमछा आदि नहीं पहना जायेगा। सुबह परेड पश्चात् जो ड्रेस होगी, उसी में भोजनालय में जायेंगे, दोपहर के भोजन के समय इंडोर क्लाश रूम से जाते वक्त पहनी ड्रेस में तथा सांयकाल डिनर के लिये पी.टी. ड्रेस में भोजनालय में जायेंगे। राजपत्रित अवकाश के दौरान पी.टी. ड्रेस में भोजनालय में जायेंगे।
5. **पुस्तकालय एवं वाचनालय** :—प्रशिक्षण केन्द्र पर एक पुस्तकालय की व्यवस्था की जायेगी, जिसमें पुस्तकों के अतिरिक्त समाचार पत्र पत्रिकाओं की व्यवस्था होगी।
6. **जंगल कैम्प की व्यवस्था** :— जंगल कैम्प की निर्धारित 12 दिवस (2—सप्ताह) की अवधि होगी, जिसका प्रशिक्षण एक भाग में पूर्ण किया जायेगा। इसके संचालन हेतु प्रभारी आउटडोर स्वंय प्रशिक्षुओं के साथ मौजूद रहकर संचालन करें और इस अवधि को सार्थक बनाने में अनुशासन की दृढ़ता और दायित्व को सर्वोपरि रखा जावे।

Note :- * Star –तारांकित पाठ्यक्रम स्वाध्याय के लिए है

7. **मनोरंजन** :—प्रशिक्षुओं के मनोरंजन के लिये मनोरंजन गृह में एक टेलीविजन की व्यवस्था होगी। यदि प्रशिक्षण संस्थान में सिनेमाघर है, तो प्रशिक्षुओं का अलग से सप्ताह में एक दिन फिल्म दिखाई जायेगी।

8. **सूचना पट्ट** :—प्रशिक्षण संस्था में प्रशिक्षुओं के आवास के निकट एक सूचना पट्ट की व्यवस्था की जायेगी।

9. **सुझाव एवं शिकायती पत्र पेटिका** :—प्रशिक्षण संस्था में प्रशिक्षुओं के आवास के निकट एक सुझाव एवं शिकायती पत्र पेटिका रखी जायेगी, जिसमें प्राप्त सुझाव एवं शिकायतों का निराकरण संस्था के प्रभारी द्वारा किया जायेगा और इसका इन्द्राज रजिस्टर में रखा जावेगा।

10. **परिधान** :—प्रत्येक प्रशिक्षु को मौसम के अनुसार परेड एवं इंडोर कक्षाओं में निर्धारित वर्दी पहननी होगी।

11. **खेल—कूद** :— प्रत्येक प्रशिक्षु को प्रशिक्षण की अवधि में खेल—कूद में भाग लेना अनिवार्य होगा। प्रशिक्षण के प्रभारी अधिकारी खेल—कूद के लिये वॉलीबाल, फुटबाल, हॉकी, कबड्डी, कुश्ती तथा तैराकी हेतु व्यवस्था करेंगे।

12. **कैन्टीन** :—प्रशिक्षण केन्द्र पर एक कैन्टीन व्यवस्था होगी, जिसमें खाने, पीने एंव दैनिक उपयोग की वस्तुयें बाजार से निर्धारित मूल्य पर उपलब्ध होगी। कैन्टीन में वस्तुओं के मूल्य की सूची लगाई जावेगी।

13. **चिकित्सा सुविधा** :—समस्त प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण संस्थान में स्थित चिकित्सालय में निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी। विशेष परिस्थिति में चिकित्साधिकारी की संस्तुति पर अन्यत्र उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी।

14. **अवकाश** :—

(अ)आधारभूत प्रशिक्षण की अवधि में प्रशिक्षणार्थी को स्थाई आदेश संख्या 14/2014 तथा तत्समय जारी अन्य आदेश के निर्देशानुसार ही अवकाश देय होगा।

(ब)चिकित्साधिकारी द्वारा दिये गये विश्राम अवकाश को देय अवकाश में परिवर्तित कर दिया जायेगा।

(स) यदि कोई प्रशिक्षु प्रशिक्षण काल की अवधि में अनावश्यक या अनुचित रूप से अनुपस्थित होगा अथवा बिना अनुमति के प्रशिक्षण केन्द्र से गायब होगा, अवकाश पर जाने पर बिना उचित या अपरिहार्य कारणों से अनुपस्थित होगा और झुंठे आधार पर अवकाश प्राप्त करेगा तो इस पर महानिदेशक पुलिस राजस्थान जयपुर के स्थाई आदेश सं0 14/2014 के अनुरूप कार्यवाही होगी और असंतोषजनक प्रशिक्षण सेवा पर ऐसे प्रशिक्षु के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही होगी।

15. **श्रमदान, साज—सज्जा एवं वृक्षारोपण** :—प्रशिक्षुओं से श्रमदान एवं वृक्षारोपण का कार्य केवल बृहस्पतिवार एवं रविवार पूर्वान्ह में ही कराया जा सकेगा, जिससे उनके परेड ग्राउण्ड, बैरक, ऐरिया, क्वार्टर गार्ड, गार्डन की सफाई व रख—रखाव का कार्य कराया जा सकेगा।

Note :- * Star –तारांकित पाठ्यक्रम स्वाध्याय के लिए है

16. **<u>मध्यावधि एवं अन्तिम परीक्षा</u>** :– प्रत्येक विषय की 100 अंको की त्रैमासिक परीक्षा 12 वें सप्ताह में तथा अर्द्धवार्षिक परीक्षा 18 वें सप्ताह में आयोजित होगी। इन परीक्षाओं के अंक अन्तिम परीक्षा के प्राप्तांको के योग में नहीं जोड़े जायेंगे किन्तु इन परीक्षाओं में यदि प्रशिक्षु 40 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करता है तो उसे प्रशिक्षण प्रभारी अतिरिक्त प्रशिक्षण प्रदान कराकर उसमें वांछित सुधार लाने का प्रयास किया जायेगा। प्रशिक्षुओं की मध्यावधि परीक्षायें संस्था प्रमुख द्वारा गठित बोर्ड द्वारा ली जायेगी। प्रत्येक प्रश्न पत्र 3 घण्टे का होगा। मूल्यांकन के पश्चात् उत्तर पुस्तिकाओं को प्रशिक्षुओं को दिखाकर उनके द्वारा की गई त्रुटियों से उन्हें अवगत कराया जायेगा। अन्तिम परीक्षा 09 माह के प्रशिक्षण की समाप्ति पर प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा गठित बोर्ड के द्वारा आयोजित की जायेगी, जिसमें **महानिरीक्षक पुलिस स्तर के अधिकारी अध्यक्ष, उप महानिरीक्षक पुलिस स्तर के अधिकारी सदस्य तथा पुलिस अधीक्षक या प्रधानाचार्य स्तर के अधिकारी सदस्य सचिव** होंगे। अन्तिम परीक्षा में आउटडोर तथा इंडोर के प्रत्येक विषय में 50 प्रतिशत तथा सम्पूर्ण योग में 55 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर उर्तीण घोषित किया जायेगा। प्रधानाचार्य द्वारा आउटडोर तथा इंडोर प्रशिक्षण प्रभारी के साथ विचार–विमर्श के उपरान्त कार्य मूल्यांकन के लिये निर्धारित अंको में से अंक दिये जाकर सूचना बोर्ड अध्यक्ष को प्रेषित की जायेगी। परीक्षा परिणाम प्रशिक्षण निदेशालय के अनुमोदन उपरान्त घोषित किया जायेगा।

17. **<u>प्रतिभाशाली प्रशिक्षणार्थी</u> :–**ऐसे समस्त प्रशिक्षणार्थियों को जो सम्पूर्ण विषयों के प्राप्तांको के योग में 80 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्रात करेंगे, प्रतिभाशाली प्रशिक्षणार्थी घोषित किया जायेगा। प्रतिभाशाली प्रशिक्षणार्थी घोषित करने में उसके द्वारा प्रशिक्षण की अवधि में किये गये विशिष्ट कार्य तथा पुरस्कार आदि को ध्यान में रखा जायेगा परन्तु ऐसे प्रशिक्षणार्थी जिनके संबन्ध में प्रतिकूल सूचना प्राप्त हुई हो या जिनका आचरण प्रशिक्षण काल में वांछित स्तर का नहीं रहा हो, प्रतिभाशाली प्रशिक्षणार्थी घोषित नहीं किया जायेगा, भले ही उसने 80 प्रतिशत अंक या उससे अधिक अंक प्राप्त किये हो।

18. **<u>पुरस्कार :–</u>**

1. ऑल राउण्ड प्रथम स्थान
2. इंडोर प्रथम स्थान
3. फायरिंग में प्रथम स्थान
4. आउटडोर में प्रथम स्थान
5. ड्रिल में प्रथम स्थान

19. **प्रशिक्षकों के लिये निर्देश :–**

1. अपने पाठ्यक्रम सें संबन्धित विषय पढ़े और समझें।
2. सभी विषयों को अलग–अलग कालांश में विभाजित करें।
3. प्रत्येक कालांश के लिये उच्च कोटि की सामग्री से पाठ पहले ही तैयार कर लें। प्रशिक्षक अपने व्यवहारिक व उपयोगी अनुभव का समावेश करें।

Note :- * Star –तारांकित पाठ्यक्रम स्वाध्याय के लिए है

4. व्याख्यान की योजना व प्रस्तुति का तरीका तैयार करें।
5. इंडोर व आउटडोर प्रशिक्षकगण से अपेक्षा की जाती है कि वे प्रशिक्षुओं से सौहार्दपूर्ण व्यवहार करें।
6. पाठ के महत्वपूर्ण बिन्दुओं की व्याख्या करें।
7. प्रशिक्षण विषय वस्तु स्लाईड व पिक्चर तथा सी.डी. के रूप में भी तैयार की जाये एवं प्रस्तुत करें।
8. विषयवार नोट्स तैयार किये जावें।
9. प्रशिक्षणार्थियों को व्यवहारिक ज्ञान, बीट, सुरक्षा, घटनास्थल निरीक्षण आदि कराने से पूर्व समझायें।
10. प्रत्येक विषय की पाठ्य सामग्री हेतु प्रशिक्षणार्थी को मार्गदर्शित करें।
11. सही वर्दी धारण करें, जिससे फुर्तीलापन प्रदर्शित हो एवम् उसका रख–रखाव भी साफ सुथरा हो।
12. प्रत्येक कालांश में प्रश्न पूछने के लिए कुछ समय दें अर्थात उत्पन्न संदेहों को दूर करें।
13. कमजोर प्रशिक्षणार्थियों पर विशेष ध्यान दे तथा तेज प्रशिक्षणार्थियों का उत्साह बढ़ायें।

20. **अन्य सामान्य निर्देश :–**

1. प्रशिक्षुओं के बौद्धिक, शारीरिक, नैतिक विकास एवं नेतृत्व क्षमता प्रशिक्षण के प्रारम्भ से ही विकसित की जावे। इसके लिये प्रत्येक अवांछनीय हरकत पर दृढ़ता से सुधारात्मक कार्यवाही की जावे।
2. कोर्स डायरेक्टर प्रशिक्षुओं के साथ 15 दिन में एक बार सांयकालीन भोजन में अवश्य सम्मिलित हों और प्रशिक्षओं से अनौपचारिक सम्पर्क बनाने का प्रयास करें।

3- प्रशिक्षण के अन्तिम 2 सप्ताह में प्रशिक्षु प्रतिदिन कृतकार्य, सीखे पाठ, पुस्तकालय, खेल आदि का विवरण अपनी दैनिक डायरी में लिखेंगे। इसको इण्डोर प्रशिक्षण प्रभारी सुनिश्चित करें और आवश्यक सुधार करावें।

–––xxx–––

Note :- * Star –तारांकित पाठ्यक्रम स्वाध्याय के लिए है